कदम उठाये जा रहे हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रमिकों के पूर्व प्रभावी क्षेत्रों में शिक्षा, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य देखभाल, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि के लिये विशेष कार्यक्रमों की स्थापना के माध्यम से पुनर्वास के लिये परियोजनायें शामिल हैं। कामकाजी बालकों के कल्याण के लिये कार्योन्मुख परियोजनायें तैयार करने के लिये स्वयं-सेवी संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत व्यक्ति

1840. **श्री रजनी रंजन साहू** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में एल०आई०जी०,एम०आई०जी० एवं जनता फ्लैटों के लिए कितने लोगों के नाम पंजीकृत हैं; और

(ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक फ्लैट आवंटित कर दिये जायेंगे?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) इस समय, आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत व्यक्तियों के श्रेणी वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता	योग
22567	26962	7919	57448

(ख) सभी शेष पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित करने के लिए कोई सुनिश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले बकाया को 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा किए जाने की संभावना है।

साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

1841. **श्री रजनी रंजन साहू** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली के सर्वेन्ट क्वार्टरों, खास तौर से 1 से 40 तक के सर्वेंट क्वार्टरों के जीनों एवं छतों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इस प्रकार के कब्जों के पीछे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय के कर्मचारियों का भी हाथ है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) :(क) और साउथ एवेन्य में सर्वेंट क्वार्टर लोक/राज्य सभा सांसद पूल में हैं तथा इतना आवंटन लोक/राज्य सभा के माननीय सदस्यों के नाम में अपनी-अपनी आवास कमेटी द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि 1 से 40 तक के सर्वेंट क्वार्टरों की छत पर तीन अस्थाई झुग्गियां हैं।

जब तक लोक/राज्य सभा सम्पदा निदेशालय को लोक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली के लिए कार्रवाई करने के लिए मामला नहीं भेजते तब तक सम्पदा निदेशालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

Transfer of Railway Employees

1842. SHRI DEBABRATA BISWAS: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state;

(a) the rules or conventions for the transfer of railway employees in different cadre;

(b) whether it is a fact that good number of employees are working in the same place for more than five years; and

(c) if so, the action initiated if any to transfer these employees who have been working at the same place for more than five years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Railway employees are liable to be transferred in the exigency of service either on promotion or even in the same grade in administrative interest. Besides, employees holding sensitive posts and frequently coming in contact with public and/or contractors/suppliers etc. are also liable to be transferred every four years.